



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15102025-266953
CG-DL-E-15102025-266953

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4552]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 15, 2025/आश्विन 23, 1947

No. 4552]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 15, 2025/ASVINA 23, 1947

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4681(अ).— राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार ने एतद्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य में रा.रा-709एडी के खंड पर (डिजाइन किलोमीटर 153+660 से डिजाइन किलोमीटर 175+280 तक) उपयोगकर्ता फीस उद्गृहीत करने से संबंधित भारत सरकार के सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना, सख्त्या का.आ. 3448(अ), दिनांक 25 जुलाई, 2025 (जिसे इसके पश्चात् “उक्त अधिसूचना” कहा जाएगा) जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित हुई है, में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:

(i) उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में “मुजफ्फरनगर-मीरनपुर खंड”, शब्द के स्थान पर “बिजनौर-कोतवाली खंड” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. डीएलडीआईवी-20018/63/2025-पीआईयू मेरठ/ई-258897]

चेतना नन्द सिंह, संयुक्त सचिव

नोट: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड 3 उप-खंड (ii) में का.आ. 3448(अ), दिनांक 25 जुलाई, 2025 के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2025

S.O. 4681(E).— In exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 to 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and collection) Rules, 2008, the Central Government hereby makes following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 3448(E), dated 25th July, 2025 (hereinafter referred to as the “said notification”), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) relating to the levy of user fee on a section of NH-709AD (design km 153+660 to design km 175+280) in the state of Uttar Pradesh, namely:-

(i) In the said notification, in paragraph 2, for the words "**Muzaffarnagar Miranpur Section**", the words "**Bijnor-Kotwali Section**" shall be substituted.

[F. No. DLDIV-20018/63/2025-PIU Meerut/E-258897]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 3448(E), dated 25th July, 2025.